



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 266 / 2025
उनवान


1.रूघा पुत्र हेबत जाति भील
निवासी भीलों का पार तहसील
रामसर जिला बाडमेर

बनाम

1.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956
आदेश दिनांक 17.12.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी .रूघा पुत्र हेबत जाति भील निवासी भीलों का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर की खातेदारी कृषि भूमि मौजा भीलों का पार पटवार मण्डल गागरिया तहसील रामसर के खाता संख्या 31 खसरा संख्या नंबर क्रमशः 22, 35, में प्रार्थी का नाम रूगाराम पुत्र हेबतराम ,खाता संख्या 41 खसरा नंबर 126/21 में नाम रूगा पुत्र हैबत एवं खाता संख्या 32 खसरा नंबर 5 में रूगाराम पुत्र हेबतराम एवं ग्राम नई सियाई पटवार मण्डल कंटल का पार तहसील रामसर के खसरा संख्य क्रमशः 138, 95, में प्रार्थी का नाम रूगा पुत्र हैबत एवं ग्राम मौजा सियाई प.म.गागरिया के खाता संख्या 47 खसरा नंबर 83 में नाम रूगाराम पुत्र हेबतराम दर्ज है। खातों में खातेदार का नाम अलग-अलग राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी तहरीर करते हो गये है। जबकि प्रार्थी का नाम आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड प्रमाण पत्र में रूघा पुत्र हेबत एवं भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड अनुसार नाम रूघा पुत्र हेबत, व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ई मतदाता पहचान पत्र में नाम रूघा पुत्र हेबत, आर्थिक एवं सांख्यिकि निदेशालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में रूघा पुत्र हेबतराम, रेल्वे विभाग द्वारा जारी पेंशन पीपीओं में नाम रूघा पुत्र हेबत दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार नाम अलग-अलग होने व सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पाने के कारण प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131व 136 में नाम शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसको दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया, एवं उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली के सलग्न समस्त दस्तावेजों के अध्ययन



(Handwritten signature)

सहायक कलक्टर
(CDO) रामसर

एवं सलग्न मिशल पेश गवाहों के बयान के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी कृषि भूमि खेत मौजा भीलों का पार पटवार मण्डल गागरिया तहसील रामसर के खसरा संख्या नंबर क्रमशः 22, 35, 126/21 एवं 5 रकबा क्रमशः 6.7178, 2.5900, 4.5729, एवं 22.0472 हैक्टेयर, एवं नई सियाई पटवार मण्डल गागरिया के खसरा संख्य क्रमशः 138, 95, रकबा क्रमशः 11.1127, 8.1665 हैक्टेयर, एवं ग्राम मौजा सियाई प.म.गागरिया के खसरा नंबर 83 रकबा 4.2330 हैक्टेयर, किस्म बा. दो. में राजस्व रेकॉर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी का नाम रूघा पुत्र हेबत जाति भील निवासी भीलों का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर की तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार रामसर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) रामसर
रामसर

दिनांक 17.12.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 1081-82
2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख हैं कि निर्णय अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नियमानुसार दुरुस्तीकरण कर पालना से अवगत करावे।
2. रूघा पुत्र हेबत जाति भील निवासी भीलों का पार।

17.12.2025
उपखण्ड अधिकारी रामसर
सहायक कलेक्टर
(SDO) रामसर